न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्याः 42146/2022
भोलानाथ यादव **बनाम** सुधीर कुमार पाण्डेय आदि
दिनॉक:04.04.2023

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता का निस्तारण

आवेदक भोलानाथ यादव द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि आवेदक आम जनमानस एवं असहाय लोगो के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने और उनकी धन उगाही की खबरे स्थानीय समाचार पत्र में देता रहता है जिसकी वजह से विपक्षीगण आवेदक से खुन्नस रखते है। आवेदक जघंई जक्शन स्टेशन जोकि जनपद जौनपुर में पड़ता है उसपर रेलवे के साइकिल का स्टैण्ड संचालन करता है। दिनॉक 07.08.2022 को रात्रि करीब 11.30 बजे बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 20942 के जाने के बाद आवेदक अपने घर के लिए निकल रहा था कि उसी समय विपक्षी संख्या–1 व 2 अपने हमराहियान के साथ शराब के नशे में धुत होकर आवेदक के साइकिल स्टैण्ड पर आये और आवेदक के स्टैण्ड के कर्मचारियों को मॉ बहन की गालियॉ देने लगे यह पूछने पर गाली क्यो दे रहे है इस बात पर विपक्षी संख्या–1 सभी को मारने लगे आवेदक ने जब विरोध किया तो आवेदक के साथ भी भद्रता करते हुए गालियॉ देने लगे और आवेदक के जेब से उस दिन के साइकिल स्टैण्ड की आय के रूपये 2500/– जबरन छीन लिए और आवेदक का मोबाइल भी छीनने का प्रयास किये और कहे कि रेलवे का साइकिल स्टैण्ड रात्रि 8 बजे के बाद चलाओगे तो तुम्हे हम लोगो को दो हजार रूपये प्रतिमाह देना पडेगा और धमकी दिया कि अगर तुम हमलोगो की बात नही मानोगे तो हमलोग तुम्हे फर्जी मुकदमें में फॅसा कर जेल भेज देगे। आवेदक ने उक्त घटना के बावत लिखित शिकायत विपक्षीगण की धमकी एवं डर से स्थानीय थाने पर नही दिया और जरिये डाक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को दिया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी है।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक व उसके लड़के के विरूद्ध थाना स्थानीय पर एन.सी.आर. संख्या 73/2021 व आवेदक के लड़के के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/2022 पंजीकृत है। आवेदक अपने को पत्रकार बताते हुए अपराधियों को संरक्षण देने तथा उसके व उसके पुत्र के विरूद्ध दर्ज आपराधिक वादों में नाम निकालने व एफ.आर. लगाये जाने हेतु पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था।

आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध दर्ज उपर्युक्त अभियोग के तथ्य को छिपाते हुए साक्षियों व पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए धारा 156(3)दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Priyanaka Srivastava & Anr. Vs State of U.P. & Ors (2015) 6, S.C.C.

Page 287 मे यह अवधारित किया गया है कि "At this stage it is seemly to state that power U/s 156(3) warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking step as the stage of Section 154 of the code. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the magsitrate. A principled and really grieved citizen with clean hands must have free access to invoke the said power. it protects the citizen but when prevent litigations takes this route to harass their fellows citizens, efforts are to be made to scuttle and crub the same. In our considered opinion a stage has come in this country where section 156(3) Cr.p.c. applications are to be supported by an affidavit duly sworn by the applicant who seeks the invocation of the juridiction of the magistrate. that apart in an appropriate case the learned magistrate would be well advised to verify the truth and also can verify the veracity of the allegations.प्रस्तुत प्रकरण में यह कहा जा सकता है कि आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है और वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय नही आया है।

आवेदक के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा किये गये कृत्य पदीय कर्तव्यों से सम्बन्धित है। पदीय कर्तव्यों के संदर्भ में संज्ञान हेतु धारा 197 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अधीन आवश्यक संस्तुति पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **अनिल कुमार तथा अन्य बनाम एम0के0अयप्पा 2014(84) ए0सी0सी0 695 सुप्रीमकोर्ट व एल. नारायण स्वामी बनाम स्टेट आफ कर्नाटका एंव अन्य फौजदारी अपील संख्या 721/2016 व 722/2016 निर्णीत दिनॉकित 06.09.2016** में यह अवधारित किया गया है कि पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में किये गये कार्यो के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में अन्वेषण का आदेश बिना अभियोजन संस्तुति के पारित नही किया जा सकता है।

उक्त परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।